FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत––जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

गंगा देवी वगै0 **बनाम रामप्यारी वगै0**

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण नम्बर 29 सन्– 2026

तारीक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.06.2026	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 से 06 उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 6 ने बहस में कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा अधिवक्ता प्रार्थीगण को अप्रार्थी सं0 7 से 19 की तलबी रजिस्टर्ड तलबाने से करने हेतु तलबाने पेश करने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु अधिवक्ता प्रार्थीगण के द्वारा आज दिनांक तक भही तलबाने पेश नहीं किये गये है। प्रकरण Non Compliance में खारिज फरमाया जावे। राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने रजिस्टर्ड तलबाने पेश करने हेतु अवसर चाहा। हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के कथनों पर मनन किया गया। न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.5.2026 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी सं0 7 से 19 की तलबी रजिस्टर्ड तलबाने से करने हेतु तलबाने पेश होने पर तलबी किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। इस संबंध में सिविल प्रक्रियार संहिता 1908 का आदेश 09 नियम 05 अवलोकनीय है जिसमें '' जहॉं वादी समन तामील के बिना लौटने के पश्चात सात दिन तक नये समन के लिए आवेदन करने में असफल रहता है वहॉं वाद खारिज किया जा सकता है। अधिवक्ता प्रार्थी के द्वारा नियत समयावधि के भीतर सम्मन पेश नही किये गये है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण Non Compliance में खारिज किया जाता है। आदेशिका की प्रति उपखंड अधिकारी दौसा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो। खुले न्यायालय सुनाया गया। जिला कलक्टर दौसा	2 SDO दौसा को पत्रांक 1940 दिनांक 11-06-26 द्वारा [illegible] [illegible] प्रेषित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official